न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

प्रार्थना–पत्र सं0 : 139 सन 2018

अनवान :–

1. दुनीचन्द दत्तक पुत्र स्वर्गीय श्री ख्यालीराम जाति जाट साकिन श्योरानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

प्रार्थी

बनाम

1. मंजू पत्नी संदीप कुमार पुत्री स्व श्री ख्यालीराम जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर
3. तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा
उपस्थित :– श्री विजयसिह अधिवक्ता सायल
श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता गैरसायल1

निर्णय दिनांक :– 16/3/2020

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि ख्यालीराम पुत्र रेखाराम जाति जाट वादी के सगे ताउ थे और उनके कोई सन्तान नही थी तथा प्रार्थी पर उनका विशेष स्नेह था इसलिये उन्होने सम्वत 2040 की अक्षय तृतीया दिन हिन्दु विधि विधान व रीति रिवाज के अनुसार दतक ग्रहण की रस्म करके प्रार्थी को दतक ग्रहण किया गया था और दिनांक 09.04.2018 को दतक ग्रहण विलेख निष्पादित करके पंजीकृत करवा दिया था जिस पर ख्यालीराम व प्रार्थी के असल पिता के हस्ताक्षर व अप्रार्थी संख्या 1 के भी हस्ताक्षर है।

प्रार्थी ख्यालीराम का दतक पुत्र है उस पर उनका विशेष स्नेह प्रेम व विश्वास था इसलिये उन्होने दिनांक 05.05.2003 को अपनी कुल कृषि भूमि व नोहर जोगी आसन स्थित मकान की वसीयत प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित करवा दी थी ख्यालराम का दिनांक 9.7.2018 को देहान्त हो गया इसलिये वसीयत के अनुसार प्रार्थी वाद भूमि का अकेला मालिक हो चुका है। ख्यालीराम जी की वसीयत के मुताबिक प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 में अंकित सम्पति का मालिक हो चुका है।

ख्यालीराम जी ने उक्त वसीयत शुद्वा कृषि भूमि ग्राम श्योरानी के खसरा न0 87 की 14 बीधा में से 7 बीधा खसरा न0 99 की 2 बीधा में से एक बीधा खसरा न0 170/1 की 24.17 बीधा में से 8 बीधा खसरा न0 248 की 56.09 बीधा में से 4 बीधा कुल 20 बीधा भूमि की वसीयत दिनांक 09.04.2018 को अपने छोटे भाई श्योकरण के पक्ष में करवाई जाकर पंजीबद्व करवाई गई थी जिसमें अप्रार्थी के भी सहमति है।

इसप्रकार प्रार्थी के असल पिता श्योकरण के पक्ष में दिनांक 09.04.2018 को हुई उक्त वसीयत के पश्चात शेष रही भूमि, मकान , भूखण्डों के सम्बध में ख्यालीराम की वसीयत दिनांक 05.05.2003 ही अन्तिम है ख्यालीराम जी का देहान्त दिनांक 09.7.2018 को हो चुका इसलिये 20 बीधा की वसीयत के अलावा को छोडकर ख्यालीराम जी की शेष सम्पति उनकी दिनांक 05.05.2003 को निष्पादित वसीयत के अनुसार उक्त शेष सम्पति प्रार्थी के अधिकार की हो चुकी है।

अप्रार्थी संख्या 1 ख्यालीराम जी की कुल सम्पति का अपना 1/2 हिस्सा मांग रही है और प्रार्थी को वसीयत से प्राप्त कृषि भूमि का नामान्तकरण खूद व प्रार्थी के पक्ष में बहिस्सा बराबर करवाने के प्रयास में है जबकि ख्यालीराम जी की वसीयत के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 का कोई हक हिस्सा नही है फिर भी अप्रार्थी संख्या 1 वाद भूमि में 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का प्रयास कर रही है यदि अप्रार्थीया अपने मकसद में कामयाब हो जाती है तो प्रार्थी को नापुरा होने वाला नुकसान होता है इसलिये प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 2 को पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि वसीयत शुद्वा सम्पति के सम्बध में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा निष्पादित किसी भी विलेख को पंजीबद्व ना करे।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा श्योरानी के खाता संख्या40/44 की कुल 104 बीधा 11 बिश्वा भूमि के किसी भी भाग का नामान्तकरण

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में करने से निषिद्व रहे एवं किसी भी प्रकार का विलेख पंजीबद्व नही किया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया की

गैरसायला न0 1 मृतक ख्यालीराम की एक मात्र सन्तान है मृतक ख्यालीराम की समस्त चल अचल सम्पति की एक मात्र उतराधिकारी है तथा सायल मृतक ख्यालीराम का कभी भी दतक पुत्र नही रहा है दतक बाबत कोई रस्म नही हुई है प्रार्थी तेज तर्रार व चालाक किस्म का व्यक्ति है तथा उसने 47 वर्ष की उम्र में दिनांक 09.04.2018 को तथाकथित दत्तक विलेख निष्पादित करवाया गया है जो केवल एक ही मन्शा को दर्शाता है की वह ख्यालीराम की भूमि हडप करने के उदेशय से करवाया गया है।

गैरसायला न0 1 के पिता ख्यालीराम की दिनांक 09.7.2018 को मृत्यू हुई थी बाद कोई रिक्त कागज प्राप्त कर अथवा ख्यालीराम हस्ताक्षरित कागज किसी तरह प्राप्त करके उनकी चल अचल सम्पति केवल इसी उदेश्यों की प्रर्ति हेतु लिखाई है ताकि मृतक ख्यालीराम की समस्त सम्पति को हडप कर सके।

सायल मृतक ख्यालीराम का कभी भी दतक पुत्र नही रहा ना ही सायल को गैरसायल संख्या 1 के पिता ने कभी स्वेच्छा से कोई वसीयत निष्पादित करवाई गई है सायल ने तथाकथित वसीयत ख्यालीराम के देहान्त होने के बाद नुमाईशी तौर से गैरसायला न0 1 के पिता की सम्पति हडप करने की नियत से करवाई गई है जो मिन गैरसायला न0 1 के अधिकारों के प्रति शुन्य है।

तथाकथित वसीयत दिनांक 05.05.2003 यदि गैरसायल न0 1 के पिता सायल के पक्ष में यदि करवा भी देते तो सायल को दिनांक 09.04.2018 को यानि वसीयत के 15 सालों बाद गोदनामा निष्पादित करवानें की क्या आवश्यकता थी जब वसीयत गोदनामा दोनो की आवश्यकता को सायल ने स्पष्ट नही किया तथा 47–48 वर्ष की उग्र बीत जाने के बाद गैरसायल न0 1 के पिता ख्यालीराम को खोलायत पुत्र की क्यो आवश्यकता हुई इतनी अवधी पश्चात खोलायत क्यो निष्पादित किया जबकि ख्यालीराम नोहर पंचायत समिति के प्रधान , सरपंच एवं पढे लिखें व्यक्ति थे उन्होने वसीयत के बाद खोलानामा लिखाने की क्या आवश्यकता थी गैरसायला न0 1 के पिता ख्यालीराम की मृत्यू दिनांक 09. 17.2018 को हुई वे मृत्यू के करीब 2 साल तक बीमार रहे परन्तु मृत्यू से पूर्व 15 सालों तक मृतक ख्यालीराम को वसीयत लिखने की क्या आवश्यकता थी यदि थी तो कोरे कागज पर ही क्यो उसे पंजीबद्व क्यों नही करवाया उक्त समस्त तथ्य कानूनी बातों को वादी ने कतई स्पष्ट नही किया गया है।

तथाकतिथ वसीयत में वर्णित भूमि पैतृक भूमि है जो मृतक ख्यालीराम को वसीयत करने का अधिकार नही देती क्योकि समस्त भूम ख्यालीराम को उसके पिता रेखाराम से प्राप्त हुई थी क्योकि पैतृक सम्पति होने के कारण गैरसायला न0 1 भी उक्त भूमि में मृतक ख्यालीराम के साथ बहिब की हकदार थी एक सहखातेदारी भूमि को मृतक ख्यालीराम को वसीयत करने का अधिकार नही था तथा उक्त वसीयत गैरखातेदारी भूमि की है कानूनी तौर से गैरखातेदारी भूमि की वसीयत नही की जा सकती है कथित वसीयत मकान व प्लाट की वसीयत में भूखण्डों का आसा पासा अंकित नही है ना ही इनका माप अकित किया गया है तथाकथित वसीयत कम्पोजित विलेख है जिसको सुनवाई का अधिकार नही है सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है उक्त समस्त तथ्यों के अनुसार प्रार्थी को कॉज ऑफ एक्शन ही हासिल नही है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही है खारिज फरमाया जावे।

गैरसायल न0 1 का जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई ।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की ख्यालीराम पुत्र रेखाराम जाति जाट वादी के सगे ताउ थे और उनके कोई सन्तान नही थी तथा प्रार्थी पर उनका विशेष स्नेह था इसलिये उन्होने सम्वत 2040 की अक्षय तृतीया दिन हिन्दु विधि विधान व रीति रिवाज के अनुसार दतक ग्रहण की रस्म करके प्रार्थी को दतक ग्रहण किया गया था और दिनांक 09.04.2018 को दतक ग्रहण विलेख निष्पादित करके पंजीकृत करवा दिया था जिस पर ख्यालीराम व प्रार्थी के असल पिता के हस्ताक्षर व अप्रार्थी संख्या 1 के भी हस्ताक्षर है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थी ख्यालीराम का दतक पुत्र है उस पर उनका विशेष स्नेह प्रेम व विश्वास था इसलिये उन्होने दिनांक 05.05.2003 को अपनी कुल कृषि भूमि व नोहर जोगी आसन स्थित मकान की वसीयत प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित करवा दी थी ख्यालराम का दिनांक 9.7.2018 को देहान्त हो गया इसलिये वसीयत के अनुसार प्रार्थी वाद भूमि का अकेला मालिक हो चुका है। ख्यालीराम जी की वसीयत के मुताबिक प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 में अंकित सम्पति का मालिक हो चुका है।

ख्यालीराम जी ने उक्त वसीयत शुद्वा कृषि भूमि ग्राम श्योरानी के खसरा न0 87 की 14 बीधा में से 7 बीधा खसरा न0 99 की 2 बीधा में से एक बीधा खसरा न0 170/1 की 24.17 बीधा में से 8 बीधा खसरा न0 248 की 56.09 बीधा में से 4 बीधा कुल 20 बीधा भूमि की वसीयत दिनांक 09.04.2018 को अपने छोटे भाई श्योकरण के पक्ष में करवाई जाकर पंजीबद्व करवाई गई थी जिसमें अप्रार्थी के भी सहमति है।

इसप्रकार प्रार्थी के असल पिता श्योकरण के पक्ष में दिनांक 09.04.2018 को हुई उक्त वसीयत के पश्चात शेष रही भूमि, मकान , भूखण्डों के सम्बध में ख्यालीराम की वसीयत दिनांक 05.05.2003 ही अन्तिम है ख्यालीराम जी का देहान्त दिनांक 09.7.2018 को हो चुका इसलिये 20 बीधा की वसीयत के अलावा को छोडकर ख्यालीराम जी की शेष सम्पति उनकी दिनांक 05.05.2003 को निष्पादित वसीयत के अनुसार उक्त शेष सम्पति प्रार्थी के अधिकार की हो चुकी है।

अप्रार्थी संख्या 1 ख्यालीराम जी की कुल सम्पति का अपना 1/2 हिस्सा मांग रही है और प्रार्थी को वसीयत से प्राप्त कृषि भूमि का नामान्तकरण खूद व प्रार्थी के पक्ष में बहिस्सा बराबर करवाने के प्रयास में है जबकि ख्यालीराम जी की वसीयत के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 का कोई हक हिस्सा नही है फिर भी अप्रार्थी संख्या 1 वाद भूमि में 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का प्रयास कर रही है यदि अप्रार्थीया अपने मकसद में कामयाब हो जाती है तो प्रार्थी को नापुरा होने वाला नुकसान होता है इसलिये प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 2 को पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि वसीयत शुद्वा सम्पति के सम्बध में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा निष्पादित किसी भी विलेख को पंजीबद्व ना करे।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा श्योरानी के खाता संख्या40/44 की कुल 104 बीधा 11 बिश्वा भूमि के किसी भी भाग का नामान्तकरण अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में करने से निषिद्व रहे एवं किसी भी प्रकार का विलेख पंजीबद्व नही किया जावे।

गैरसायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि गैरसायला न0 1 मृतक ख्यालीराम की एक मात्र सन्तान है मृतक ख्यालीराम की समस्त चल अचल सम्पति की एक मात्र उतराधिकारी है तथा सायल मृतक ख्यालीराम का कभी भी दतक पुत्र नही रहा है दतक बाबत कोई रस्म नही हुई है प्रार्थी तेज तर्रार व चालाक किस्म का व्यक्ति है तथा उसने 47 वर्ष की उम्र में दिनांक 09.04.2018 को तथाकथित दत्तक विलेख निष्पादित करवाया गया है जो केवल एक ही मन्शा को दर्शाता है की वह ख्यालीराम की भूमि हडप करने के उदेशय से करवाया गया है।

गैरसायला न0 1 के पिता ख्यालीराम की दिनांक 09.7.2018 को मृत्यू हुई थी बाद कोई रिक्त कागज प्राप्त कर अथवा ख्यालीराम हस्ताक्षरित कागज किसी तरह प्राप्त करके उनकी चल अचल सम्पति केवल इसी उदेश्यों की प्रर्ति हेतु लिखाई है ताकि मृतक ख्यालीराम की समस्त सम्पति को हडप कर सके।

सायल मृतक ख्यालीराम का कभी भी दतक पुत्र नही रहा ना ही सायल को गैरसायल संख्या 1 के पिता ने कभी स्वेच्छा से कोई वसीयत निष्पादित करवाई गई है सायल ने तथाकथित वसीयत ख्यालीराम के देहान्त होने के बाद नुमाईशी तौर से गैरसायला न0 1 के पिता की सम्पति हडप करने की नियत से करवाई गई है जो मिन गैरसायला न0 1 के अधिकारों के प्रति शुन्य है।

तथाकथित वसीयत दिनांक 05.05.2003 यदि गैरसायल न0 1 के पिता सायल के पक्ष में यदि करवा भी देते तो सायल को दिनांक 09.04.2018 को यानि वसीयत के 15 सालों बाद गोदनामा निष्पादित करवानें की क्या आवश्यकता थी जब वसीयत गोदनामा दोनो की आवश्यकता को सायल ने स्पष्ट नही किया तथा 47–48 वर्ष की उग्र बीत जाने के बाद गैरसायल न0 1 के पिता ख्यालीराम को खोलायत पुत्र की क्यो आवश्यकता हुई इतनी अवधी पश्चात खोलायत क्यो निष्पादित किया जबकि ख्यालीराम नोहर पंचायत समिति के प्रधान , सरपंच एवं पढे लिखें व्यक्ति थे उन्होने वसीयत के बाद खोलानामा लिखाने की क्या आवश्यकता थी गैरसायला न0 1 के पिता ख्यालीराम की मृत्यू दिनांक 09.

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

17.2018 को हुई वे मृत्यू के करीब 2 साल तक बीमार रहे परन्तु मृत्यू से पूर्व 15 सालों तक मृतक ख्यालीराम को वसीयत लिखने की क्या आवश्यकता थी यदि थी तो कोरे कागज पर ही क्यो उसे पंजीबद्व क्यों नही करवाया उक्त समस्त तथ्य कानूनी बातों को वादी ने कतई स्पष्ट नही किया गया है।

तथाकतिथ वसीयत में वर्णित भूमि पैतृक भूमि है जो मृतक ख्यालीराम को वसीयत करने का अधिकार नही देती क्योकि समस्त भूम ख्यालीराम को उसके पिता रेखाराम से प्राप्त हुई थी क्योकि पैतृक सम्पति होने के कारण गैरसायला न0 1 भी उक्त भूमि में मृतक ख्यालीराम के साथ बहिब की हकदार थी एक सहखातेदारी भूमि को मृतक ख्यालीराम को वसीयत करने का अधिकार नही था तथा उक्त वसीयत गैरखातेदारी भूमि की है कानूनी तौर से गैरखातेदारी भूमि की वसीयत नही की जा सकती है कथित वसीयत मकान व प्लाट की वसीयत में भूखण्डों का आसा पासा अंकित नही है ना ही इनका माप अकित किया गया है तथाकथित वसीयत कम्पोजित विलेख है जिसको सुनवाई का अधिकार नही है सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है उक्त समस्त तथ्यों के अनुसार प्रार्थी को कॉज ऑफ एक्शन ही हासिल नही है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही है खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की वाद भूमि में गैरसायल किसी प्रकार का हक हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है या नही एवं प्रार्थी ख्यालीराम की वसीयत /खोलानामा के आधार पर वाद भूमि में हक हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है या नही प्रार्थना पत्र में तो यह तय किया जाना है कि सुविधा का सन्तुलन , प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष मे है।

वर्तमान राजस्व रिकार्ड रोही मौजा श्योरानी के खाता संख्या 40/44 की कुल 31.5270हैक भूमि मृतक ख्यालीराम पुत्र रेखाराम जाति जाट के नाम से दर्ज है अर्थात प्रार्थी के दत्तक पिता एवं गैरसायला न0 1 के पिता के नाम से दर्ज है अर्थात प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 दोनो के पक्ष में समान रूप से पाया जाता है।

प्रार्थी का कथन है कि वह ख्यालीराम के खोलानामा एवं वसीयत के आधार पर समस्त सम्पति का हकदार है जबकि गैरसायला न0 1 का कथन है कि प्रार्थी ख्यालीराम का दत्तक पुत्र नही है एवं ख्यालीराम ने कोई वसीयत नही करवाई गई है तथाकथित वसीयत फर्जी है जिसके आधार पर प्रार्थी किसी प्रकार का हक हिस्सा पाने का अधिकारी नही है।

प्रस्तुत खोलानामा दिनांक 09.04.2018 दतक विलेख निष्पादित करवाया गया है अर्थात ख्यालीराम के देहान्त होने के तीन माह पहले ख्यालीराम की मृत्यू के केवल तीन माह पहले गोदनामा रजिस्ट्रर किया गया है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में ख्यालीराम की सम्पूर्ण भूमि/सम्पति का विवरण अंकित किया है किन्तु दस्तावेजात केवल ग्राम श्योरानी की भूमि के ही पेश किये गये है जबकि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के अनुसार अन्य ग्रामों में भी भूमि ख्यालीराम के नाम से दर्ज थी जो वसीयत में अंकित है उसके भी दस्तावेजात प्रस्तुत किये जाने चाहिये थे।

गैरसायल न0 1 ने मृतक ख्यालीराम के द्वारा दिनांक 05.05.2003 को प्रार्थी के पक्ष में करवाई गई वसीयत को निरस्त करने का वाद सिविल न्यायालय में पेश किया जा चुका है जो विचाराधीन है न्यायालय में विचाराधीन वसीयत कि सम्बध में माननीय न्यायालय का निर्णय ही मान्य होगा।

ख्यालीराम के एक मात्र सन्तान गैरसायल न0 1 ही है जिससे प्रार्थी ने भी इन्कार नही किया गया है गैरसायला का कथन है कि वाद भूमि में से कुछ भूमि पैतृक जो गैरसायल के दादा ने उसके पिता ख्यालीराम को प्राप्त हुई थी जिसमें गैरसायला का बराबर का हक हिस्सा है एवं गैरखातेदारी भूमि की वसीयत नही की जा सकती है यह दोनो तथ्य भी वाद में ही तय होने है।

प्रार्थी के खोलेनामा एवं प्रार्थी के पिता श्योकरण के पक्ष मे करवाई गई दस्तावेजात पर गैरसायला न0 1 के उपस्थिति के हस्ताक्षर है किन्तु दिनांक 05.05.2003 को करवाई गई वसीयत पर परिवार के किसी भी सदस्य है हस्ताक्षर नही है।

प्रार्थी के पक्ष करवाये गये खोलेनामा को मान भी लिया जावे तो भी मृतक ख्यालीराम के दो वारिस प्रार्थी एवं गैरसायला न0 1 होते है अर्थात ख्यालीराम की सम्पति में प्रार्थी एवं अप्रार्थी दोनो का बराबर का हक हिस्सा होता है तो प्रार्थी समस्त भूमि पर तथाकथित वसीयत जिसके सम्बध में वाद विचाराधीन है के आधार पर समस्त भूमि पर स्थगन आदेश प्राप्त करने का अधिकार नही है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थी ने केवल श्योरानी ग्राम की भूमि पर ही स्थगन चाहा है शेष भूमि जो वसीयत दिनांक 05.05.2003 में अंकित है पर स्थगन आदेश की मांग नही की है ना ही अन्य भूमियों के दस्तावेजात पेश किये गये है जिससे गैरसायला न0 1 का कथन सही प्रतित होता है कि वह भूमिया गैरखातेदारी एवं पैतृक है।

उल्लेखनिय है कि गैरखातेदारी एवं पैतृक सम्पति की वसीयत पंजीबद्व नही की जाती है क्योकि की उसमें हकों का निर्धारण नही होता है पैतृक भूमि में अन्य का हक हिस्सा भी हो सकता है मात्र राजस्व अभिलेख में खातेदार के नाम के आधार पर पैतृक सम्पति की गई वसीयत विवादित होने पर प्रथम दृष्टया हक निर्धारण किया जाना न्यायोचित नही है।

प्रार्थी के द्वारा मृतक ख्यालीराम की समस्त भूमियों के दस्तावेजात पेश नही करने एवं केवल ग्राम श्योरानी की भूमि के सम्बध में गैरसायला न0 1 को पाबन्द करवाने अन्य भूमियो के सम्बध में पाबन्द नही करवाना प्रार्थी के न्यायालय में क्लीन हेण्ड से नही आना प्रतित होता है।

उक्त विवेचन अनुसार मृतक ख्यालीराम की गैरसायला न0 1 पुत्री है एवं प्रार्थी मृतक ख्यालीराम का खोलायत पुत्र है अर्थात ख्यालीराम के दो वारिस प्रतित होते है एवं वसीयतनामा की स्वीकार्यता जो साक्ष्य सबुतों के अधार पर ही तय होगा की वाद भूमि दोनो पक्षों सायल व गैरसायल का कितना हक हिस्सा है जब तक सायल एवं गैरसायला के हकों को निर्धारण नही हो जाता तब तक दोनो पक्षों को पाबन्द किया जाना न्यायोचित है ताकि मुकदमाबाजी ना बढे अतः अपूर्णीय क्षति का बिन्दु दोनो के सामान रूप से पक्ष में पाया जाात है ।

इस प्रकार अपूर्णीय क्षति का बिन्दु सायल एवं गैरसायला न0 1 के पक्ष में होने के कारण सायल का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा कार्यालय द्वारा दिनांक 05.12.2018 को जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित भूमि की सायला एवं गैरसायल न0 1 दोनो यथास्थिति बनाये रखेगे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16/3/2020 (16/3/2020) को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)